भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 45
दिनांक 28 नवंबर, 2024

अशोकनगर ऑयल फील्ड के लिए पीएमएल प्रदान करना

†*45. श्री जगन्नाथ सरकार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अशोकनगर ऑयल फील्ड के लिए पेट्रोलियम खनन पट्टे (पीएमएल) की स्थिति क्या है, जो 10.09.2020 से पश्चिम बंगाल सरकार के पास लंबित है;

(ख) पीएमएल प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं और इस विलम्ब के कारण फील्ड की प्रारंभिक विकास योजना (ईडीपी) पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा पीएमएल को रोके जाने के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है, जिससे विशेषकर अशोकनगर ऑयल फील्ड के मौद्रीकरण से सम्बद्ध रोजगार सृजन और स्थानीय विकास के संदर्भ में राज्य की आर्थिक संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं और यदि हां, तो इस मुद्दे का समाधान करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"अशोकनगर ऑयल फील्ड के लिए पीएमएल प्रदान करना" के संबंध में संसद सदस्य श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 45 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने दिनांक 24.09.2018 को अशोकनगर खोज को अधिसूचित किया है। यह पिछले पांच दशकों से बंगाल अपतटीय बेसिन में ओएनजीसी के लगातार अन्वेषण के प्रयासों का परिणाम है। तदनुसार, ओएनजीसी ने शीघ्र विकास योजना (ईडीपी) के तहत दिनांक 10.09.2020 को अशोकनगर-1 खोज के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए उत्तर 24 परगना जिले में 5.88 वर्ग किलोमीटर (व.कि.मी.) के क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आवेदन किया था। पीएमएल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की सिफारिश के बारे में दिनांक 21.10.2020 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) द्वारा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को संसूचित कर दिया गया था।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5(1)(ii) के तहत राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की पूर्व सिफारिश पर पीएमएल प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा पीएमएल प्रदान करने की प्रतीक्षा की जा रही थी इसलिए ईडीपी को लागू नहीं किया जा सका जिससे तेल और गैस का उत्पादन प्रभावित हुआ। तथापि, ओएनजीसी ने समीक्षा/अन्वेषण वेधन गतिविधियों को जारी रखा है तथा अन्य कूपों में नामत: अशोकनगर-2, कनकपुल-1, भुरकंडा-1 और रानाघाट-2 में हाईड्रोकार्बन की मौजूदगी स्थापित की है, इसलिए नई अन्वेषण लाईसेंसिग नीति (एनईएलपी) ब्लॉक डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4 में अशोकनगर-1 खोज के आस-पास में हाईड्रोकार्बन बढ़ाने की संभावना है। हाल ही में नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर 4 से अधिक खोजों सहित 99.06 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को एक एकीकृत क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) के रूप में तैयार किया गया है जिसमें अशोकनगर-1 की तेल और गैस खोज का विकास करने के लिए 5.88 वर्ग किलोमीटर के ईडीपी क्षेत्र को भी शामिल किया है। इस एकीकृत एफडीपी को भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.07.2024 को अनुमोदित किया गया है । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पीएमएल जारी करने के लिए एमओपीएंडएनजी का आगे का सिफारिश पत्र दिनांक 29.10.2024 को भेजा गया था। ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को एफडीपी (99.06 वर्ग कि. मी.) के अनुमोदित क्षेत्र के लिए दिनांक 05.11.2024 को पीएमएल आवेदन प्रस्तुत किया था। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से इस पीएमएल की अनुमति प्राप्त होने की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

अशोकनगर तेल क्षेत्र के लिए पीएमएल प्रदान करने का अधिकार पश्चिम बंगाल सरकार के पास है। भारत सरकार और ओएनजीसी (प्रचालक) पश्चिम बंगाल सरकार से पीएमएल को जारी कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पीएमएल प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को दिनांक 21.10.2020 को सिफारिश पत्र भेजा गया था और इसके बाद महानिदेशक, हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय ने प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग को दिनांक 01.02.2023 को अनुरोध पत्र और दिनांक 12.01.2024 को अ.शा. पत्र भेजा था। इस मामले को जीओडब्ल्यूबी के शीघ्र विचार हेतु दिनांक 04.07.2024 को, रांची में आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक में पश्चिम बंगाल (जीओडब्ल्यूएम) के साथ उठाया गया है।

****